प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवामें,

विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन,
चिकित्सा अनुभाग–6

पत्रांकः–11फ/ 1743 लखनऊ, दिनांक 27 मार्च, 2017

विषयः–उ0प्र0 नैदानिक स्थापन(रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 22.03.2017 को लखनऊ नर्सिंग होम ओनर्स एसोसिएशन (एल0एन0एच0ए0), लखनऊ के सचिव डा0 अनुप अग्रवाल एवं डा0 सुरेश तलवार, अध्यक्ष, इण्डियन एसोसिएशन आफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एण्ड लेप्रोलॉजिस्ट–2013, सी–1113, इन्दिरानगर, लखनऊ के साथ बैठक की गयी, जिसमे निदेशक(चिकित्सा उपचार), अपर निदेशक(चिकित्सा उपचार), संयुक्त निदेशक(चिकित्सा उपचार) उपस्थित रहे। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेदन में शासनादेश संख्या–1625(1)/पांच–6–16–डब्लू–5/2002, दिनांक 12.07.2016 के साथ अधिसूचना संख्या–191/2016/1625/पांच–6–2016–डब्लू–5/2002, दिनांक 11.07.2016 द्वारा जारी उ0प्र0 नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करने हेतु अनुरोध किया गया है:–

1. स्टेट काउन्सिल, जनपद रजिस्ट्रीरिंग अथार्टी, जांच टीम में नर्सिंग होम एसोसिएशन/ प्राइवेट डाक्टर्स एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि सामिल किये जायें।
2. जनपद रजिस्ट्रीरिंग अथार्टी का अध्यक्ष जिला अधिकारी के स्थान पर जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए।
3. समस्त मरीजों के मेडिकल रिकार्ड का रख–रखाव वेब पर रखना तथा प्रति तीन माह के अन्तराल पर जनपद जनपद रजिस्ट्रीरिंग अथार्टी को प्रेषित करना(विशेषतः बाह्य रोगियों का) व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता और जब तक यूनिफार्म ऑनलाइन रिकार्ड सिस्टम शासन स्तर पर तैयार नहीं हो जाता मुस्किल है। अतएव तब तक भौतिक सत्यापन/ वेब बेस्ड रिकार्ड कीपिंग की अनुमति दी जाय।
4. एकल डाक्टर के क्लीनिक हेतु एक्ट लागू न हो/मानकों में छूट दी जाय।
5. प्राथमिक उपचार देना बाध्यता होना चाहिए न कि मरीज को स्टैबलाईज करना। इलाज करने वाले डाक्टरों, स्टाफ तथा संस्थान को मेडिकोलीगल, सिविल, क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त रखा जाय, जब तक कि ऐसा करना नितान्त आवश्यक न हो।
6. स्टाफ की भर्ती:–
   1. **पैरामेडिकल** प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता अनिवार्य न की जाय क्योंकि प्रदेश में पर्याप्त प्रशिक्षित पैरामेडिकल उपलब्ध नहीं है। दो वर्ष के अनुभव प्राप्त पैरामेडिकल स्टाफ को अनुमति प्रदान की जाय, जिन्हें तीन माह ट्रेनिंग तथा सर्टीफिकेट परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान(चाहे उ0प्र0 कौशल विकास योजना) से प्राप्त की हो।
   2. **चिकित्सकों की ड्यूटी**–उ0प्र0 में आवश्यकता से कम एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक उपलब्ध है, अतएव दो वर्ष से कार्यरत अनुभवी आयुष चिकित्सकों को ड्यूटी डाक्टर हेतु अनुमति प्रदान की जाय, जिन्हें भी तीन माह ट्रेनिंग तथा सर्टीफिकेट परीक्षा मान्यता प्राप्त संस्थान(चाहे उ0प्र0 कौशल विकास योजना) से प्राप्त की हो।

7. एकल खिड़की निष्पादन– अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु एकल खिड़की निष्पादन व्यवस्था की जाय, जिसमें–
   1. उक्त एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन।
   2. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पंजीयन।
   3. ए0ई0आर0बी0 लाइसेंस।
   4. फायर सेफ्टी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर एफिडेविड(क्योंकि 15मी0 ऊँचाई से कम वाले संस्थानों हेतु फायर सेफ्टी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
   5. व्यावसायिक परिमिट सहित एम्बुलेंस।
   6. ब्लडबैंक लाइसेंस(जहां आवश्यक हो)।
   7. एम0ओ0यू0/अनुबन्ध पत्र मानव वाह्य सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा।
   8. पी0एफ0/ई0एस0आई0 जहां आवश्यक हो।
   9. एम0टी0पी0 एक्ट।
   10. पी0एन0डी0टी0 एक्ट।
   11. पैन।
   12. फार्मेसी लाइसेंस यदि रिटेल सेल काउण्टर उपलब्ध हो।

8. उच्च स्तरीय समिति जहां पर उक्त चिकित्सा संस्थान जनपद स्तरीय/राज्य स्तरीय रजिस्टरिंग अथार्टी के निर्णय के विरूद्ध अपील कर सके।
9. शिकायत निवारण हेतु दिशा–निर्देशः–
   – केवल शिकायतों पर ही जांच की जाय।
   – संस्थान के मालिक को पूर्व में नोटिस दी जाय।
   – जांच हेतु अधिक से अधिक सदस्यों की टीम भेजी जाय, जिसमें नर्सिंग होम एसोसिएशन क
क सदस्य अवश्य हो।
   – जांच रिपोर्ट की एक प्रति संस्थान के मालिक को अवश्यक उपलब्ध करायी जाय।

उक्त के साथ ही प्रत्यावेदन में यह भी अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति
र्वक विचार करने के उपरान्त आवश्यक संशोधन किये जांय, उसके बाद ही एक्ट लागू किया जाय नहीं
ी छोटे–छोटे प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा, जो कि गरीब
था मध्यम वर्गीय समाज को कम लागत पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान स्वरूप
दि एक्ट लागू होता है, तो बड़े कार्पोरेट हास्पिटल ही संचालित हो पायेंगे तथा छोटे एवं मझो
कित्सा संस्थान बन्द होने के कगार पर आ जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि उक्त से अवगत होते हुए शासन स्तर पर निर्णय लेने का कष्ट करें।

लग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक